फर्द अहकाम
(नियम – 26)

नीमकाथाना

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम

देशराज बनाम भूमिधारी

मुकदमा नम्बर 357 सन् 2022

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2022	रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 30.06.2022 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
30/6/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज ... कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/7/22 को पेश हो।	
5/7/22	पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/7/22 को पेश हो।	
	~~पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक________ को पेश हो।~~	
15/07/22	पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनु० रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 29/07/22 को पेश हो।	

29/7/22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि है। अतः पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

प्रा0 पत्र0 357/2022

निर्णय दिनांक 29.07.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मेहतानगर पटवार हल्का राजपुरा तहसील पाटन स्थित भूमि खसरा नंबर 986 रकबा 0.4100 हैक्टे. की पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 24.05.2022 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner